कार्यालय, नगर पालिक निगम, जबलपुर (म.प्र.)

क्र./नि.स.(आ.)/2017/लो० सू०वि०/102 जबलपुर, दिनांकः 25/07/2017

प्रति,

समस्त विभागीय अधिकारी/
संभागीय अधिकारी, सं.क्र.1 से 15 तक
नगर पालिक निगम,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत जानकारी अपलोड करने हेतु ।

संदर्भः- कार्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर का पत्र क्र./1980/RTI/2017, जबलपुर दिनांक 13.07.2017

विषयान्तर्गत संचालनालय के संदर्भित पत्र द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत नगर पालिक निगम, जबलपुर के समस्त विभागों से संबंधित जानकारी नगर पालिक निगम, जबलपुर की वेबसाइट में अद्यतन किये जाने निर्देशित किया गया है। धारा 4(1)(ख) निम्नानुसार है :-

धारा 4(1)(ख) :-

इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर -

1. अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य;
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य;
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;
4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;
7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;
8. ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी;
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशिका;
10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;
11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;
13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ;
14. किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो;
15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ;
17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

तदानुसार website को अद्यतन कर प्रतिवेदन 7 दिवस के अन्दर लो.सू. कार्यालय को प्रेषित करें ।

संलग्नः संदर्भित पत्र की छायाप्रति

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
जबलपुर

पृ.क्र./ क्र./नि.स.(आ.)/2017/लो.सू.शि./102 जबलपुर, दिनांकः 05./01./2017

<u>प्रतिलिपि</u> :- सूचनार्थ

1. समस्त अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर ।
2. समस्त उपायुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर ।
3. प्रभारी ई-नगर पालिक निगम जबलपुर ।
4. प्रभारी, एल्बिज सिस्टम, नगर पालिक निगम, जबलपुर ।
5. प्रभारी, सी-नेट, नगर पालिक निगम, जबलपुर ।
6. श्री अंकुर खरे, नगर पालिक निगम, जबलपुर समन्वय करें ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
जबलपुर